कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फैक्स: 05962.232182 ई–मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 1341 / 12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 11 – 9 – 2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फारेस्ट कालौनी, उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय – जनपद अल्मोड़ा में कुनीगाड़ – हिरुली बाजार से रामपुर – चौखुटिया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.350 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव सं0 8483/2014

संदर्भ – अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 रानीखेत की पत्र सं0 1906/18सी/दिनांक 14.08.2018।

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/118/2015/एफ0सी0/934/दिनांक 09.09.2016 से जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0 –1 में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले में 2.70 है0 ग्राम "भटकोट सिविल सोयम भूमि" को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं नामान्तरित किया जाना था। अधिशासी अभियन्ता निमार्ण खण्ड लो0नि0वि0 रानीखेत द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि ग्राम "भटकोट " मे भूमि उपलब्ध नहीं हाने के कारण इसके स्थान पर "नैनी सिविल भूमि" चयनित की गई है। उक्त भूमि वन विभाग के पक्ष में जिलाधिकारी अल्मोड़ा की आदेश सं0 4360/ग्यारह–14/2017–18 दिनांक 04.06.2018 से हस्तान्तरण एवं नामान्तरण हो चुकी है। (छायाप्रति संलग्न है)। ग्राम "नैणी सिविल भूमि" के डिजिटल मैप एवं जीयोरिफरेंस मैप एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होने का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 रानीखेत की पत्र सं0 1765/18सी/दिनांक 31.07.2018 से सैद्वान्तिक स्वीकृति शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या आपको प्रस्तुत की जा चुकी है। कृपया उक्त प्रकरण में यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

पत्रांक / दिनांकित

प्रतिलिपि– वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 रानीखेत को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

डायरी नं० 2846
फाईल नं० 10
दिनांक 11-6-18

आदेश

जनपद अल्मोड़ा मे तहसील द्वाराहाट, अल्मोड़ा के अर्न्तगत **विनायक–रिखाड़–कोटिला मोटर मार्ग** प्रस्तावित मोटरमार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 5.400 हैक्टयर वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु दोगुनी क्षेत्रफल की **कुल–5.400 हैक्टेयर** सिविल भूमि को नियमानुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण मे हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के सबंध मे प्रमुख सचिव, राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010, दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुपालन मे उपरोक्त मोटरमार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि उपलब्ध कराये जाने के सबंध मे तहसीलदार द्वाराहाट, के पत्रांक 136/र.का.क्षतिपूरक वृक्षारोपण/2014–15 दिनांक 09.05.2018 के द्वारा प्रेषित तथा उप जिलाधिकारी, द्वाराहाट द्वारा अग्रसारित प्रस्ताव पर याचक विभाग अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 रानीखेत, पत्रांक संख्या–1018/27 सी.दिनांक 15–05–2018 के द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्ताव के साथ निम्नवतः अभिलेखों सहित क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु दिनांक 17.04.2018 को चयनित की गई भूमि की संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट, चयनित की गई भूमि की खतौनी, व खसरा एवं चयनित भूमि का मौका नक्शा एवं निर्धारित प्रारूप–2, तथा तहसीलदार/उप जिलाधिकारी, द्वाराहाट, की आख्या सहित वन संरक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड देहरादून, के पत्रांक 08 बी/यू0सी0पी0/06/184/2015 एफ0सी0/1129, दिनांकः 18–10–2016 के द्वारा निर्गत आदेश के आधार पर क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु ग्राम–नैणी, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र–पैठानी ,तहसील–द्वाराहाट के गै0ज0 वि0ख0खा0संख्या–21 की श्रेणी–9(3)ड़ ''बंजर काबिल आबाद'' भूमि के पैमायसी खेत नम्बर 1555 मध्य 5.400 हैक्टेयर, अर्थात कुल 01 खेत नम्बरान की **कुल 5.400 हैक्टेयर** सिविल भूमि को क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है। तद्नुसार ही क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण मे नामान्तरित की जाती है। तहसीलदार द्वाराहाट उक्तानुसार ही राजस्व अभिलेखों मे अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी,वन प्रभाग, अल्मोड़ा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त कार्यवाही वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप होगी।

(इवा आशीष श्रीवास्तव)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

संख्या 4359/ग्यारह– 13 /2017–18, दिनांकः 04-06- ~~मई~~, 2018

प्रतिलिपिःनिम्नाकिंतों को सूचनार्थ प्रेषित :–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
2– अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
3– उप जिलाधिकारी, द्वाराहाट।
4– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 रानीखेत।
5– तहसीलदार, द्वाराहाट को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।

(इवा आशीष श्रीवास्तव)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

कार्य का नामः– विनायक रिखाड कोटियाग मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल नैणी सिविल

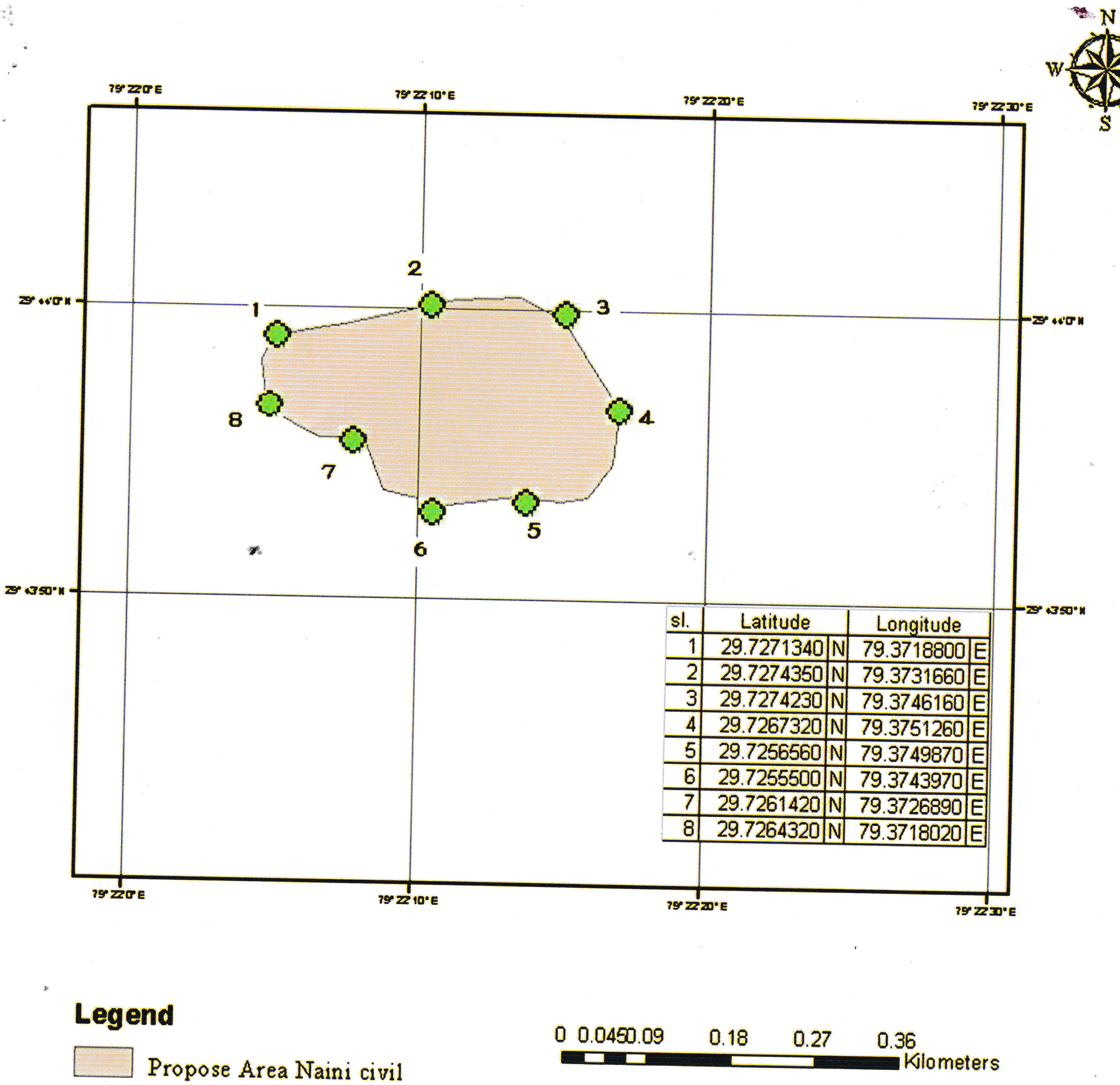

sl.	Latitude		Longitude	
1	29.7271340	N	79.3718800	E
2	29.7274350	N	79.3731660	E
3	29.7274230	N	79.3746160	E
4	29.7267320	N	79.3751260	E
5	29.7256560	N	79.3749870	E
6	29.7255500	N	79.3743970	E
7	29.7261420	N	79.3726890	E
8	29.7264320	N	79.3718020	E

Assistant Engineer
Const. Division P.W.D.
Ranikhet

वन क्षेत्राधिकारी
[illegible] वन क्षेत्र
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता
नि० खं०, लो० नि० वि०
रानीखेत

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा